Regarding reported closure of schools in Uttar Pradesh

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे **(**इटावा**) :** माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति जी, यह देश संविधान से चलता है । लेकिन, संविधान के द्वारा प्राइमरी के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उस शिक्षा को खत्म किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा हजारों विद्यालयों को पेयरिंग के नाम पर बंद किया जा रहा है । प्रदेश में 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय एवं 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन करते हुए हजारों प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है ।

इसके पूर्व में भी एक ही परिसर में स्थित लगभग 20,000 विद्यालयों का संविलियन करके प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त कर दिए गए हैं । वर्तमान में चल रही मर्जर प्रक्रिया से जहाँ छात्रों से विद्यालयों की दूरी अधिक होगी, वहीं हजारों रसोईयों की सेवा भी समाप्त हो जायेगी । इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापकों एवं ग्राम प्रधान/विद्यालय प्रबन्ध समिति पर दबाव बनाकर विद्यालय बंद करने के समर्थन में प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं । लोकतंत्र में इस प्रकार विद्यालय बंद करके नौनिहालों की शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, श्री गोडम नागेश जी ।

? (व्यवधान)

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे**:** हजारों प्रधानाध्यापकों के पद एवं रसोइयों की सेवा समाप्ति जैसे निर्दयी एवं कठोर निर्णय की कल्पना नहीं की जा सकती है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** नागेश जी, आप स्टार्ट कीजिए ।

? (व्यवधान)